सं० : 16/2024/1356/94-1-2024-312(35)/2023

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद्
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु०-1 **लखनऊ, दिनांक : 03 सितम्बर, 2024**

विषय- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-क०नि०-5/1149/11-2013-312(268)/2001 दिनांक 13.09.2013 द्वारा अचल सम्पत्तियों के अन्तरण/विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाज़ार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा वसूली गयी 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत (2)(स) को अवक्रमित करते हुए निम्न् नवीन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्यरत स्थानीय निकायों/संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर आरोपण की व्यवस्था विभिन्न अधिनियमों यथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-172 (1) (ड़) व धारा-191, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 की उपधारा-(1) (3-ख) व धारा-128-क, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-62, उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेन्ट अथॉरिटी ऐक्ट, 1996 की धारा-34 तथा उत्तर प्रदेश अर्बन एवं प्लानिंग डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-39(2) के अन्तर्गत 02 प्रतिशन स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि शासकीय कोष में जमा होती है तथा इसका आहरण कर स्थानीय निकायों आदि को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

अत: शासन के अन्य विभागों की भाँति ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का लक्ष्य गत वर्ष की सकल प्राप्तियों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा भी सकल प्राप्ति पर ही की जायेगी।

(2) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का अनुमान वित्त विभाग को बजट प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसमें से 04 प्रतिशत अनुषांगिक व्यय एवं 04 प्रतिशत संग्रह व्यय अर्थात कुल 08 प्रतिशत की धनराशि काटकर शेष धनराशि को निम्नानुसार आवंटित किया जायेगा :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(अ) 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड को स्थानान्तरित की जायेगी।

(ब) 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में एकत्र की गयी धनराशि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को तथा नगर विकास विभाग को निम्नानुसार देय होगी :—

निकाय/प्राधिकरण/परिषद की प्रास्थिति (ऐसे क्षेत्र जहाँ निम्न विद्यमान हो)	डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (प्रतिशत)	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण (प्रतिशत)	आवास एवं विकास परिषद् (प्रतिशत)	नगर निकाय (प्रतिशत)
विकास परिषद, आवास विकास, नगर निकाय	0.5	0.50	0.25	0.75
विकास प्राधिकरण+नगर निकाय	0.5	0.75	—	0.75
आवास विकास परिषद्+ नगर निकाय	0.5	—	0.75	0.75
विकास प्राधिकरण+आवास विकास परिषद्	0.5	0.75	0.75	—
विकास प्राधिकरण	0.5	1.5	—	—
आवास विकास परिषद्	0.5	—	1.5	—
नगर निकाय	0.5	—	—	1.5

(स) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा नगर निकायों, डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास परिषद् को अन्तरण हेतु बजट व्यवस्था स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अनुदान से कराई जायेगी।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं को भुगतान त्रैमासिक आधार पर 04 किश्तों में त्रैमासिक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने के साथ सुनिश्चित किया जायेगा।

(द) उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से आवश्यक विवरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्राप्त करके सम्बन्धित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
7. आयुक्त, स्टाम्प, उ०प्र० प्रयागराज/शिविर कार्यालय लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
11. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु०-9/वित्त (लेखा) अनु०-2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।